

भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	जी नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 4 जी ओ.एफ.सी. लाइन रीवा जिले की गोविन्दगढ़ से सगौनी खुर्द मार्ग के किनारे-किनारे आर्टिकल फाइवर केवल लाइन डालने में प्रभावित वनभूमि वन पक्षेत्र रीवा के कक्ष क्रमांक आर.एफ-01 कुल रकबा 0.370 हे० है। वनमण्डलाधिकारी सीधी आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित आवेदित क्षेत्र 0.0145 हे. वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तावित प्रयोजन के उपयोगार्थ वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत अनुशंसित किया गया है। ओ.एफ.सी. लाइन बिछाने की अनुमति वनमंडलाधिकारी रीवा द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसित है।

तिथि: 15/03/2019
स्थान: रीवा

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त-रीवा (म.प्र.)

Recommendation of CCF

रीवा जिले के वनमण्डल रीवा के वन परिक्षेत्र रीवा के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 01 रकबा 0.0145 हे0 में गोविन्दगढ से सगौनी खुर्द रोड के किनारे-किनारे रिलायन्स जियो द्वारा आप्टिकल फायवर केबल डालने का कार्य किया जाना है। आप्टिकल फायवर केबल डालने में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्रमांक क्रमांक आर.एफ. 01 वन भूमि में कुल रकबा 0.0145 हे0 व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु वनमंडलाधिकारी रीवा द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसित है।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)